

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 मई 2016— वैशाख 17, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-6/2016/32. — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 27 के उप-नियम (3) में, शब्द एवं अंक “ भूखण्डों जो 200 वर्गमीटर का आकार से ” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “ आवासीय भूखण्डों जो 200 वर्गमीटर के आकार से अथवा औद्योगिक भूखण्डों जो 1000 वर्गमीटर से आकार से ” प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2016

क्रमांक एफ 7-6/2016/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 3rd May 2016

NOTIFICATION

No. F 7-6/2016/32.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely :-

AMENDMENT

In the said rule,-

In sub-rule (3) of Rule 27, for the words, figure and symbol “plots (not more then 200 square meter in size)”, the words and figure “residential plots not more then 200 square meter in size or industrial plots measuring 1000 square meter in size” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY SHUKLA, Secretary.